

कार्यालय-ज्ञाप

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 13.11.2014 को की घोषणा के अन्तर्गत लखनऊ, आगरा, कानपुर एवं मथुरा नगरों के सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग-1, 30प्र० शासन के शासनादेश संख्या-9/2015/209/पांच-1-2015-2(42)/14, दिनांक 12.02.2015 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश में वार्डों को पुरस्कृत किये जाने के लिये एक थर्ड पार्टी वैल्यूएटर की तैनाती के निर्देश हैं। तत्क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ, आगरा, कानपुर एवं मथुरा में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 12.02.2015 में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वार्डों को पुरस्कृत किये जाने के लिए क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को थर्ड पार्टी वैल्यूएटर के रूप में तैनात किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- थर्ड पार्टी वैल्यूएटर द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जायेंगे-

- (1) चिकित्सा अनुभाग-1, 30प्र० शासन के शासनादेश संख्या-9/2015/209/पांच-1-2015-2(42)/14, दिनांक 12.02.2015 के मापदण्डों के अनुसार लखनऊ, आगरा, कानपुर एवं मथुरा के वार्डों को पुरस्कृत किये जाने के क्रम में निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र० का सहयोग प्राप्त करते हुए थर्ड पार्टी वैल्यूवेशन किया जाना तथा अपनी संस्तुति देना।
- (2) थर्ड पार्टी वैल्यूवेशन के लिए केन्द्र के किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए एक वैल्यूवेशन समिति का गठन किया जाना।
- (3) सन्दर्भित कार्य हेतु अपना सुझाव देना तथा यथावश्यक प्रदेश स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए निदेशक, नगरीय निकाय, 30प्र० को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाना।

3- थर्ड पार्टी वैल्यूएटर के रूप में नामित क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र को निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र० लखनऊ तथा सम्बन्धित नगर निगमों द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

श्रीप्रकाश सिंह  
सचिव।

संख्या-4015(1)/नौ-5-15-196सा/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) मण्डलायुक्त, लखनऊ, आगरा एवं कानपुर।
- (2) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र० लखनऊ।
- (3) जिलाधिकारी, लखनऊ, आगरा, कानपुर एवं मथुरा।
- (4) नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, आगरा एवं कानपुर।
- (5) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मथुरा।
- (6) चिकित्सा अनुभाग-1/नगर विकास अनुभाग-7, 30प्र० शासन।
- (7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/8, 30प्र० शासन।
- (8) मुख्यमंत्री कार्यालय(घोषणा प्रकोष्ठ), 30प्र० शासन।
- (9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (10) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा. से.